

99



माननीय न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक / 2017-18 निगरानी

PBR/निगरानी/देवास/भू.स/2018/2220<sub>1</sub>

- 1 अर्जुनसिंह पिता भेरूसिंह
- 2 भेरूसिंह पिता शेरसिंह
- 3 नाथुसिंह पिता शेरसिंह
- 4 धीरजसिंह पिता नाथुसिंह  
निवासीगण- गाम बिसलखेड़ी तह. टोंकखुर्द  
जिला देवास (म.प्र.)

--- निगरानीकर्तागण

--- विरुद्ध ---

- 1 बाबूलाल पिता कन्हैयालाल
- 2 प्रहलाद पिता कन्हैयालाल
- 3 विक्रम पिता कन्हैयालाल
- 4 रामप्रसाद पिता कन्हैयालाल
- 5 जमनाबाई विधवा कन्हैयालाल  
निवासीगण- गाम बिसलखेड़ी तह. टोंकखुर्द  
जिला देवास (म.प्र.)

----- प्रत्यर्थागण

अधीनस्थ योग्य न्यायालय तहसीलदार तहसील टोंकखुर्द  
जिला देवास के द्वारा प्रकरण क्रमांक  
04/अ-13/2015-16 में पारित आदेश दिनांक  
03/03/2018 से दुःखित व क्षुब्ध होकर अंदर अवधि  
निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता -

माननीय महोदय,

3

प्रार्थी/निगरानीकर्तागण की ओर से निम्नलिखित निगरानी सादर

प्रस्तुत है :-

विरुद्ध निवासीगण


श्री कृष्ण उज्ज्वल मे कृष्णलाल  
श्री विरुद्ध सिंह सिर्सादिवा  
द्वारा प्रस्तुत।

22/8/18

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/देवास/भू.रा./2018/2220

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री महेश योगी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.18 को कलेक्टर, जिला देवास के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	